बिहार विधान-सभा वादवृत

(भाग-२ कार्यवाही - प्रश्नोत्तर रहित ।)

शुक्रवार, तिथि २५ मार्च, १९७७

विषय सूची

	पृष्ठ
मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव ...	१-३
(प्रस्तुत करने की अनुमति दी गयी) ...	
अत्यावश्यक लोक महत्त्व के विषय पर ध्यानाकर्षण एवं उस पर सरकारी वक्तव्य: दरभंगा में विद्युत परिषद् के कार्यालय के लिए जमीन की खरीदगी	३ ८
सभा मेज पर रखे गये कागजात :	
(१) संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, १९७६ : ...	८
(२) बिहार राज्य विद्युत पर्षद का १९७२-७३ का वार्षिक प्रतिवेदन :	८
आय-व्ययक ।	
(१) १९७७-७८ वर्ष के वार्षिक आय-व्ययक का उपस्थापन :	८-१९

पृष्ठ

(२) १९७६-७७ वर्ष के द्वितीय अनुपूरक व्यय का विवरण का उपस्थान : ... — १९

(३) १९७७-७८ वर्ष के लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव का उपस्थापन : (स्वीकृत) — २०-२१

कटौती प्रस्ताव : राज्य सरकार की कानून-व्यवस्था कायम रखने में असफलता : अस्वीकृत ... — २०

विधान-कार्य : र/जकीय (वित्तीय) विधेयक :

(१) बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७७ : २१-४७

[१९७७ की वि० सं० १] [क्रमशः]

मंत्री परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर विमर्श की सूचना : — ... २२

आय-व्ययक : १९७६-७७ वर्ष के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर मतदान :

राज्य विधान मंडल : ... ... (स्वीकृत) ४८

मंत्री परिषद्, निर्वाचन, सचिवालय एवं जिला प्रशासन (स्वीकृत) ४८-४९

कटौती प्रस्ताव :

मंत्रिपरिषद्, मनोरंजन, और अतिथ्य व्यय संबन्धित मांग का औचित्य : — ... (अस्वीकृत) ४९-६३

न्याय प्रशासन एवं अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवायें : ... ... (स्वीकृत) ६३-६४

भू राजस्व एवं प्राकृतिक आयदाओं के संबंध में राहत : ... ... (स्वीकृत) ६४

कर, खजाना, पेंशन और मुद्रण ... (स्वीकृत) ६४

राज्य उत्पादन शुल्क : ... ... (स्वीकृत) ६४-६५

वाहनों पर कर तथा सड़क एवं जल परिवहन सेवाएं : — — (स्वीकृत) ६५

पुलिस, आग से बचाव एवं अन्य प्रशासनिक सेवायें : (स्वीकृत) ६५

ल ... ... (स्वीकृत) ६६

		पृष्ठ
लोक निर्माण कार्य आवास एवं सिंभिल विभाननं :	(स्वीकृत)	६६
शिक्षा एवं कला और संस्कृति ··· ···	(स्वीकृत)	६:-६७
चिकित्सा एवं परिवार नियोजन : ···	(स्वीकृत)	६७
लोक स्वास्थ, सफाई, जलापूर्त्ति एवं नगर विकास :	(स्वीकृत)	६७
सूचना, प्रचार, एवं पर्यटन : ··· ···	(स्वीकृत)	६७-६८
श्रम और रोजगार : ··· ···	(स्वीकृत)	६८
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण : ··· ···	(स्वीकृत)	६८
सहकारिता : ··· ···	(स्वीकृत)	६९
कृषि एवं पशुपालन : ··· ···	(स्वीकृत)	६९
लघु सिंचाई : ··· ···	(स्वीकृत)	६९-७०
डेरी विकास : ··· ···	(स्वीकृत)	७०
मत्स्य उद्योग : ··· ···	(स्वीकृत)	७०-७१
वन : — —	(स्वीकृत)	७१
सामुदायिक विकास : ··· ···	(स्वीकृत)	७१
उद्योग : ··· ···	(स्वीकृत)	७२
खान और खनिजें ··· ···	(स्वीकृत)	७२
सिंचाई और विद्युत । ··· ···	(स्वीकृत)	७२-७३
विधान कार्य : राजकीय (वित्तीय) विधेयक :		
(२) बिहार विनियोन विधेयक : [१९७७ की वि० सं० २] ··· ···	(स्वीकृत)	७३-७४
निवेदनों के सम्बन्ध में सूचना : ···	—	७५
दैनिक निबन्ध : ··· ···		७७-८०

टिप्पणी :—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधन नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिन्ह लगा दिया गया है ।

बिहार विधान-सभा बादवृत

शुक्रवार, तिथि २५ मार्च, १९७७

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में शुक्रवार, तिथि २५ मार्च, १९७७ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष, श्री हरिनाथ मिश्र के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव

अध्यक्ष—शान्ति, मेरे सामने मंत्रिमंडल पर अविश्वास के दो प्रस्ताव मौजूद हैं। प्रथम है श्री जवार्दन तिवारी का और दूसरा भी है। तो श्री जवार्दन तिवारी, इस सम्बन्ध में आपकी क्या राय है?

श्री जनार्दन तिवारी—राय तो है, लेकिन व्यापक यदि दूसरा है तो उसी को लिया जाय।

अध्यक्ष—दरअसल, आप चाहते हैं कि आगे की कारवाई हो?

श्री जनार्दन तिवारी—हम चाहते हैं।

अध्यक्ष—तो आप अपना प्रस्ताव वहीं रखना चाहते हैं?

श्री जनार्दन तिवारी—जी, नहीं।

अध्यक्ष—दूसरा प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"यह सदन वर्त्तमान मंत्रिमंडल पर करणीय कार्यों के नहीं करने और अकरणीय कार्यों के करने के कारण अविश्वास प्रकट करता है।" इसे सुनील मुखर्जी, श्री चतुरानन मिश्र, श्री अम्बिका प्रसाद और श्री भोला प्रसाद सिंह ने पेश किया है।

शान्ति, मैं स्पष्ट कर दूँ कि मैंने इस प्रस्ताव को नियमानुकूल पाया। अब जो माननीय सदस्य सभा द्वारा इस प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति देने के पक्ष में हों, वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायँ।

(विपक्ष के सदस्यगण खड़े हुये।)

शान्ति, अब आप बैठ जायें। गिनने के बाद यह ज्ञात हुआ कि ५५ माननीय सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हैं, जो ३१ संख्या निर्धारित हमारी नियमावली में है उससे ज्यादा सदस्य खड़े हुये हैं। इसलिये सभा की अनुमति मिली।

अब एक ही विचारणीय प्रश्न है कि इस पर कब विचार हो और कितनी देर के लिये विचार हो? मैं माननीय सभा नेता तथा माननीय विरोधी दल के नेता, दोनों से विचार-विमर्श करके, कब हमलोग इसके लिये बैठें और कितनी देर तक बैठें, आज ही इसकी घोषणा करवा दूंगा।

श्री बुद्धदेव सिंह—नो कंफिडेंस है तो इसपर पहले डिसिजन होना चाहिये।

अध्यक्ष—नियम में १० दिनों के अन्दर इसपर विचार करना है। मैंने लोक सभा की और यहाँ की कितनी प्रिसिडेंट्स देखी है। इस आधार पर इसकी सूचना आज हीं आपको दे दूंगा।

श्रीमती प्रभावती गुप्ता—वोट-ऑन-एकाउन्ट तो आज ही पास करना है?

अध्यक्ष—जबतक अध्यक्ष पद पर हूं, आपलोगों की इच्छा से हूं, और नियमावली पढ़कर मैंने ऐसा कहा है।

श्री भोला प्रसाद सिंह—आज वोट-ऑन-एकाउन्ट है। सप्लीमेन्ट्री बजट पास करके, इसको सभा नेता और विरोधी नेता की राय से कल के लिये रखिये।

श्री चतुरानन मिश्र—माननीय सदस्य, भोला प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि पास करके, हो सकता है—फेल भी हो जाय। (हल्ला)

अध्यक्ष—शांति, अब आपकी बात मैंने सुन ली।

श्री भोला प्रसाद सिंह—वोट-ऑन-एकाउन्ट को नो कनफिडेन्स के पहले पास कर दिया जाय।

अध्यक्ष—श्री भोला प्रसाद सिंह! एक कृपा मेरे ऊपर आपने हमेशा की है—कुछ अपना जो आभास है उसको दबा करके। मेरे अनुरोध को मानकर, आगे की कारवाई करने दें। मैं आशा करता हूं कि दो ही बजे निर्णय सुना दिया जायेगा।

श्री कमलदेव नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, समय निश्चित करने का अधिकार आपको है। पार्लियामेंटरी प्रैकटिश का एटिकेट है कि वोट-ऑन-एकाउन्ट के पहले नो-कनफिडेन्स को लिया जाय। यदि वोट-ऑन-एकाउन्ट पास कर देते हैं, तो इसका मानी है कि हमको सरकार पर कनफिडेन्स है और सरकार को बचने का अवसर मिल जाता है, इसलिये हम चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर पहले विचार होना चाहिये, तब वोट-ऑन-एकाउन्ट लिया जाय।

अध्यक्ष—यह भी हो सकता है कि वोट-ऑन-एकाउन्ट पास कर दें और अविश्वास का प्रस्ताव उलटा दें। श्री कमलदेव नारायण सिंह, इस तरह से बात कीजियेगा तो कोई सीमा नहीं है। एक नहीं, न मालूम कितने उदाहरण दे सकता हूं। अब मुझे आगे तो बढ़ने दीजिये।

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण एवं उस पर सरकारी वक्तव्य : दरभंगा में विद्युत परिषद के कार्यालय के लिए जमीन की खरीदगी।

श्री जनार्दन तिवारी—बिहार राज्य विद्युत पर्षद ने दरभंगा में विद्युत पर्षद के कार्यालय हेतु श्री विनय कृष्ण, सदस्य, विद्युत पर्षद की जमीन लगभग २४लाख रुपये में खरीदी है जबकि इस जमीन की कीमत लगभग तीन लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये। इस प्रकार श्री विनय कृष्ण ने अपने पद का जबर्दस्त दुरुपयोग किया है। अतः इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

श्री मु० हुसैन आजाद—बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने दरभंगा में मिथिला क्षेत्रीय विद्युत पर्षद के कार्यालय हेतु श्री विनय कृष्ण प्रसाद, तथा उसकी पत्नी के नाम से स्थित कुल ५ एकड़ १० डिसमल जमीन, एक बड़ा [दुमंजिला मकान तथा अन्य छोटे-मोटे मकान बगीचा इत्यादि के साथ भू-अर्जन अधिनियम १८९४ के अन्तर्गत समाहर्त्ता दरभंगा के कहने से अर्जित की है। भू-अधिनियम के अन्तर्गत समाहर्त्ता ने इस समूची सम्पत्ति की कीमत कुल ९,६२,०००/-(नौ लाख बासठ हजार) तय किया, जिसे बोर्ड ने समाहर्त्ता के पास भू-धारियों को भुगतान के लिए जमा कर दिया। इस सम्पत्ति को भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत इसलिये अर्जित करना पड़ा कि इस सम्पत्ति के मालिक स्वेच्छा से कीमत लेकर भी बोर्ड को देने के लिये तैयार नहीं थे। यह कहना ठीक न होगा कि इस सम्पत्ति के लिये २४,००,०००/-रु० (चौबीस लाख रुपये) भुगतान किए गए हैं। चूंकि श्री विनय